

न्यायालय: अ०मु०न्या० दंडा० प्रथम, बेनीपट्टी।
परिवाद वाद सं० 317 / 2024
चन्दा कुमारी "बनाम" मनिष पंडित एवं अन्य
BRMB210008912024
आदेश

07.08.2024	अभिलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत हुआ। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में परिवादी की ओर से केस को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। न्यायालय द्वारा पूछ-ताक्ष करने पर परिवादी के द्वारा बताया गया कि ये मामला को शांति सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। अब मैं केस आगे नहीं लड़ना चाहती हूँ। जिसके कारण न्यायालय पाती है कि वाद में परिवादी वाद पत्र वापस लेना चाहती है। अतः न्यायहित में परिवाद वापसी के आधार पर वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित अ०मु०न्या०दंड० बेनीपट्टी।
------------	--